उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-13/2020/459/एक-1-2020-रा0-1

लखनऊः दिनांक 23 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 द्वारा 16'' व्यास (कार्बन स्टील पाइप) टूण्डला-गौरिया उत्पाद पाइप लाइन बिछाने विषयक जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-4330/प-204/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 11.01.2020 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत श्री राज्यपाल ग्राम भीकनपुर बाकरपुर, तहसील एत्मादपुर, जनपद-आगरा एवं ग्राम सतौली, तहसील एत्मादपुर, जनपद-आगरा स्थित निम्न सूची में दिये गये सार्वजनिक भूमियों पर अंडरग्राउण्ड पाइप लाइन बिछाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि इस संबंध में यदि कोई compensation गांव सभा को देय हो, तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जायेगा-

सूची

क्र0 सं0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	प्रभावित रकबा (व0मी0)	भूमि की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1.	एत्मादपुर	भीकनपुर बाकरपुर	96	114	चकरोड
	योग		1 किता	114	
1.	एत्मादपुर	सतौली	312	98	रोड
2.			348	79	गूल
3.			372	78	गूल
4.			139	36	रोड
5.			140	36	गूल
6.			41के	47	बंजर भूमि गूल
7.			37	42	रोड
8.			38	54	गूल
	योग		08 किता	470	

आज्ञा से,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-13/2020/459(1)/एक-1-2020-रा0-1 तददिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा ।
3- जिलाधिकारी, आगरा ।
4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
महेन्द्र सिह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in